



संख्या-29/2020/1746/77-6-2020-4(बजट)/16टीसी

प्रेषक,

सुजाता शर्मा,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग,

उद्योग निदेशालय

कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 25 अगस्त, 2020

विषय: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु रु.4,69,86,000.00 की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 30प्र0वित्तीय निगम के पत्र संख्या-16/विनि/वियोवि/2020-2021 दिनांक 03.07.2020, पत्र संख्या-53/विनि/वियोवि/2020-2021 दिनांक 14.07.2020, पत्र संख्या-370/विनि/वियोवि/2020-2021 दिनांक 30.04.2020 एवं पत्र संख्या-369/विनि/वियोवि/2020-2021 दिनांक 10.04.2020 द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु0 180.00 करोड़ (रु0 एक सौ अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रु0 469.86 लाख (रु0 चार सौ उन्हत्तर लाख छियासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है, पात्र 08 इकाईयों का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	इकाई का नाम	धनराशि (रु.लाख में)
1	मेसर्स एस0डी0 इन्टरनेशनल प्रा0लि0 गोरखपुर(वित्तीय वर्ष 2015-16) अवशेष	30.86
2	मेसर्स अम्बा शाकित स्टील्स लि0, मुजफ्फरनगर (वित्तीय वर्ष 2014-15)	65.60
3	मेसर्स अपोलो मेटालेक्स प्रा0लि0, बुलन्दशहर(वित्तीय वर्ष 2014-15)	5.28
4	मेसर्स अपोलो मेटालेक्स प्रा0लि0, बुलन्दशहर (वित्तीय वर्ष 2015-16)	27.88
5	मेसर्स कानपुर पैकेजर्स प्रा0लि0, कानपुर (वित्तीय वर्ष 2016-17)	118.36
6	मेसर्स ब्लू स्टार सीमेन्ट लि0 बुलन्दशहर (वित्तीय वर्ष 2016-17)	125.36
7	मेसर्स आर0एल0जे0इन्फ्रासीमेन्ट प्रा0लि0, मिर्जापुर(वित्तीय वर्ष 2014-15)	5.00
8	मेसर्स आर0एल0जे0इन्फ्रासीमेन्ट प्रा0लि0, मिर्जापुर(वित्तीय वर्ष 2015-16)	91.52
	योग-	469.86

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक-6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012-30-निवेश/ऋण, में प्राविधानित धनराशि रु0 180.00 करोड़ (रु0 एक सौ अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष उपर्युक्त 08 पात्र इकाईयों को ब्याज मुक्त ऋण वितरण हेतु समेकित रूप से धनराशि रु. 469.86 लाख (रु0 चार सौ उन्हत्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लाख छियासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त धनराशि 30प्र0वित्तीय निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये 08 इकाइयों के बैंक खातों (संलग्नक-1) में सीधे आ0टी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जायेगी तथा आहरित धनराशि 30प्र0 वित्तीय निगम के बैंक खाते में जमा नहीं की जायेगी।
- 2- धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा 30प्र0वित्तीय निगम को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 3- स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा 30प्र0 वित्तीय निगम द्वारा रखा जाएगा। इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबंध निदेशक, 30प्र0वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-6/वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 4- यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2012 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
- 5- यह धनराशि ऐसी पात्र नई इकाइयों, जिनके प्रत्यावेदन 30प्र0 वित्तीय निगम में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदनों के यथाक्रम में वरीयतानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
- 6- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व 30प्र0वित्तीय निगम पर होगा। 30प्र0वित्तीय निगम द्वारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।
- 7- 30प्र0वित्तीय निगम द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित इकाई द्वारा ऋण की अदायगी किये जाने के 02-03 कार्य दिवसों के अन्दर ही धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- 8- ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
- 9- धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उसके तत्काल उपभोग की आवश्यकता हो।
- 10- स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर, द्वारा किया जाएगा। 30प्र0वित्तीय निगम को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष 30प्र0वित्तीय निगम द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।
- 11- 30प्र0 वित्तीय निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा की जायेगी।
- 12- स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 13- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिये स्वीकृत किया गया है।
- 14- धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाईयों की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
- 15- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक-6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012-30-निवेश /ऋण के नामे डाला जाएगा।
- 16- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-586/दस-2020 दिनांक 18.08.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-29/2020/1746/77-6-2020-4(बजट)/16टीसी.तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
- 4- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर को पत्रांक-1635/विनि/वियोवि/2020-2021 दिनांक 10-04-2020, पत्रांक-16/विनि/वियोवि/2020-2021 दिनांक 03-07-2020 एवं पत्रांक-53/विनि/वियोवि/2020-2021 दिनांक 14-07-2020 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु।
- 5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 9- नियोजन अनुभाग-1/4
- 10- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।